...लय संख्या-01, मथुरा।

सत्रवाद संख्या-600/2021

राज्य बनाम अतिकुर्रहमान आदि

13.12.2021

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्तगण अतीकुर्रहमान, मो० आलम, सिद्दीक कप्पन, मसूद अहमद, रउफ शरीफ, असद बदरूद्दीन, फिरोज जेल में निरूद्ध हैं। अभियुक्त दानिश अनुपस्थित है।

अभियोजन की ओर से इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि मु०अ०सं०- 199/2020 धारा- 153ए, 295ए, 124ए/120बी भा०दं०सं० व 17, 18 गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 तथा 65/72 आई०टी० एक्ट, थाना-मांट, जिला-मथुरा के मामले में अभियुक्त सिदीकी कप्पन आदि 08 नफर के विरुद्ध दिनांक-02.04.2021 को आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। उक्त अभियोग में विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा से परीक्षण रिपोर्ट दिनांक-29.07.2021 को प्राप्त हुयी, जिसको विवेचना में सम्मिलित किया गया है तथा यू०पी० एक्ट-1967 की धारा-45(2) के प्राविधानों के अनुसार उ०प्र० शासन द्वारा गठित रिव्यू आथोरिटी द्वारा अपनी रिपोर्ट 23.10.2021 को उपलब्ध करायी है, उसको भी विवेचना में सम्मिलित कर केस डायरी किता की गयी है। उ०प्र० शासन द्वारा शासनादेश संख्या-1002/VI-P-9-21-31(75)/2017 लखनऊ दिनांक अप्रैल 20, 2021 के माध्यम से एन०आई०ए० एक्ट की धारा-22(1) के प्राविधानों के अंतर्गत विशेष न्यायालय के रूप् में तृतीय सीनियर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, लखनऊ को नियुक्त किया गया है। उक्त कथनों के आधार पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा की परीक्षण रिपोर्ट एवं रिव्यू आथोरिटी की रिपोर्ट की केस डायरी को पत्रावली में सम्मिलित करने एवं एन०आई०ए० एक्ट की धारा-22(4) के प्राविधानों के अनुसार उक्त अभियोग को विचारण हेतु स्पेशल न्यायालय को स्थानांतरित किये जाने की याचना की गयी है।

WWW.LIVELAW.IN

अभियुक्तगण की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मु०अ०सं०- 199/2020 धारा- 153ए, 295ए, 124ए/120बी भा०दं०सं० व 17, 18 गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 तथा 65/72 आई०टी० एक्ट, थाना-मांट, जिला-मथुरा इस न्यायालय में विचाराधीन है। उ०प्र० शासनादेश गृह (पुलिस) अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-1002/VI-P-9-21-31(75)/2017 लखनऊ दिनांक अप्रैल 20, 2021 के माध्यम से एन०आई०ए० एक्ट की धारा-22(1) के प्राविधानों के अंतर्गत विशेष न्यायालय के रूप में तृतीय सीनियर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, लखनऊ को नियुक्त किया गया है। एन०आई०ए० एक्ट की धारा-22(4) में यह उपबंधित किया गया है कि-On and from the date when the special court constituted by the Sate Government the trial of any offence investigated by the State Government under the provisions of this Act, while would have been required to be held before the Special Court, shall stand transferred to that court on the date on which it is constituted. इस प्रकार सम्बंधित मामले की सुनवाई हेतु स्पेशल कोर्ट का गठन उ०प्र० शासन द्वारा कर दिया गया है। अतः उक्त मामले को उचित एवं सम्यक निस्तारण हेतु स्पेशल कोर्ट लखनऊ अंतरित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। तदनुसार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा उक्त मामले को उचित एवं सम्यक निस्तारण हेतु सम्बंधित स्पेशल कोर्ट, लखनऊ अंतरित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अविलम्ब सम्बंधित स्पेशल कोर्ट, लखनऊ भेजी जाये। अभियुक्तगण सम्बंधित न्यायालय के समक्ष दिनांक-07.01.2022 उपस्थित हों।

दिनांक-13.12.2021

13.12.21

(अनिल कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-1, मथुरा।

प्रमाणित प्रतिलिपि
जनपद एवं सत्र न्यायालय मथुरा

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA